अध्याय 1

परिचय

अध्याय

1 परिचय

पृष्ठभूमि

झारखण्ड में 33 कोषागार (नई दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन के कोषागार सहित जिला स्तर पर 27[1] कोषागार और अनुमंडलीय स्तर पर छः[2] उप-कोषागार) राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्ति और भुगतान के दैनिक संव्यवहारों को संभालने और कोषागार संहिता और वित्तीय नियमावली के अनुसार उनके अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। वे मासिक लेखें और विवरणीयों[3] को संकलित कर महालेखाकार[4] (एजी) को प्रस्तुत करते हैं।

राज्य सरकार के आईटी विजन और आईटी योजना को ध्यान में रखते हुए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी), झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के लिए "परियोजना प्रतिवेदन और कार्य योजना" तैयार की गई (सितंबर 2003)। तदनुसार, ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत् राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), झारखण्ड राज्य इकाई के सहयोग से डीओआईटी द्वारा कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना शुरू की गई (फरवरी 2004)।

जून 2007 में, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने डेटा की एकरूपता, विभिन्न प्रणालियों[5] के बीच डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान और कोषागारों के पूर्ण स्वचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोषागार, पेंशन, लेखापरीक्षा और विभाग के अन्य कार्यों के स्वचालन हेतु एक वेब आधारित कोषागार सूचना प्रणाली (टीआईएस) 'कुबेर' को कार्यान्वित किया। प्रणाली का विकास विगत कई वर्षों (2007 और 2012 के बीच) में विभिन्न मॉड्यूलों को जोड़ते हुए हुआ, यथा- 2007 में कोषागार एमआईएस मॉड्यूल, 2008 में डीडीओ विपत्र तैयारी एप्लिकेशन, 2010 में ऑनलाइन जीपीएफ लेखांकन एवं निधि तैयारी

---

1 (1) बोकारो (2) चाईबासा (3) चतरा (4) देवघर (5) धनबाद (6) डोरंडा (7) दुमका (8) गढ़वा (9) गिरिडीह (10) गोड्डा (11) गुमला (12) हजारीबाग (13) जमशेदपुर (14) झारखण्ड भवन (नई दिल्ली) (15) जामताड़ा (16) खूंटी (17) कोडरमा (18) लातेहार (19) लोहरदग्गा (20) पाकुड़ (21) पलामू (22) प्रोजेक्ट भवन (23) रामगढ़ (24)) रांची (25) साहेबगंज (26) सरायकेला और (27) सिमडेगा

2 (1) चक्रधरपुर (2) घाटशिला (3) मधुपुर (4) महेशपुर (5) राजमहल और (6) तेनुघाट

3 साधारण स्टाम्पों की बिक्री, आयकर प्राप्ति विवरण, अनुसूचियों और दस्तावेजों के साथ नकद लेखा, अनुसूचियों और दस्तावेजों के साथ भुगतानों की सूची आदि

4 लेखा एवं हकदारी (लेखा एवं हक)

5 राज्य के संबंधित विभागों की पृथक आईटी प्रणालियाँ।

मॉड्यूल और 2012 में निधि मॉड्यूल। विभिन्न हितधारकों (जैसे; परिवहन विभाग (वाहन और सारथी), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग आदि) के साथ, इस अवधि के दौरान प्रणाली के इंटरफेस को बढ़ाया गया।

1.1 आईएफएमएस की शुरुआत

भारत सरकार (भा.स.), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत् मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) "कोषागार कम्प्यूटरीकरण" के कार्यान्वयन को मंजूरी दी (जुलाई 2010)। इस योजना के तहत्, राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) केंद्रीय सहायता के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन के लिए योग्य थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे तीन वर्ष की अवधि के अंदर मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी "राज्य एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए परिचालन मॉडल हेतु मार्गदर्शिका" के अनुसार अपने प्रस्ताव भेजें।

परियोजना (एमएमपी) का उद्देश्य मूल कम्प्यूटरीकरण के अलावे कम्प्यूटरीकरण में मौजूदा अंतराल को भरने, उन्नयन, विस्तार और इंटरफेस आवश्यकताओं के लिए राज्यों की सहायता करना था। इसमें (i) कोषागारों, राज्य वित्त विभागों, महालेखाकार (एजी) कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), एजेंसी बैंकों, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) की केंद्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण प्रणाली (सीपीएसएमएस) के बीच डेटा साझाकरण; (ii) छूटे हुए क्रेडिट की घटनाओं को कम करने के लिए न्यूनतम मिलान और कोषागार डेटा को राज्य डेटा केंद्रों में निर्बाध रूप से प्रविष्टि; और (iii) पेंशन भुगतानों तथा प्राप्ति व व्यय पर वेब-आधारित नागरिक पृच्छा इत्यादि की सुविधा शामिल थे।

एक बार स्थापित होने के बाद, कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना से बजट प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार, लेखाओं के वास्तविक-समय समाधान को बढ़ावा देने, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को मजबूत करने, लेखाओं की तैयारी में सटीकता और समयबद्धता में सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने और राज्य में शासन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अपेक्षित था।

1.2 झारखण्ड में आईएफएमएस की आवश्यकता

झारखण्ड में कोषागार और संबंधित कार्यों का स्वचालन टुकड़ों में किया गया था और विभाग को डेटा की एकरूपता, सीमित सरकारी प्रक्रिया का पुनर्भियंत्रण, विभिन्न प्रणालियों/हितधारकों के बीच डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान, पूर्ण स्वचालन का अभाव, तकनीकी उन्नयन के कारण कुछ प्रणालियों का अप्रचलित होना और वर्तमान आईटी प्रणालियों की मापनीयता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इन समस्याओं को कम करने और वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने एक उद्यम-व्यापी व्यापक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस)–राज्य में कोषागार कंप्यूटरीकरण परियोजना का एक विस्तार, को लागू करने की योजना बनाई थी (जून 2013), जो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच संरचित तरीके से सहयोग, प्रमुख हितधारकों के साथ वास्तविक समय में इंटरफ़ेस स्थापित और मौजूदा प्रक्रमों को सरल, सुव्यवस्थित और संशोधित करेगा। इस प्रकार, आईएफएमएस राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के लिए बजट, भुगतान प्रक्रिया, लेखांकन, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग जैसी कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रबंधन कार्यों को एकीकृत सॉफ़्टवेयर समाधान में समेकित करता है।

1.3 झारखण्ड में आईएफएमएस

आईएफएमएस झारखण्ड (कुबेर) राज्य सरकार की सभी वित्तीय गतिविधियों को दर्ज करने की सुविधा हेतु एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है।

वर्तमान में राज्य में आईएफएमएस 12 मॉड्यूल के साथ परिचालित है। इनमें से निम्नलिखित छः प्रकार्यात्मक मॉड्यूल हैं:

(i) बजट मॉड्यूल - सीओबीटी (ई-बजट);

(ii) आवंटन मॉड्यूल (ई-एलॉटमेंट);

(iii) विपत्र मॉड्यूल (ई-बिल);

(iv) भुगतान मॉड्यूल (ई-ट्रेजरी);

(v) प्राप्ति मॉड्यूल (झारखण्ड ई-ग्रास); तथा

(vi) पेंशन मॉड्यूल (ई-पेंशन)।

शेष छः रिपोर्टिंग मॉड्यूल हैं जिनके पास अपना डेटा नहीं होता है और वे वांछित प्रतिवेदनों को बनाने के लिए उपरोक्त प्रकार्यात्मक मॉड्यूलों के डेटा पर निर्भर होते हैं। इन मॉड्यूल का प्रवाह चार्ट **चित्रलेख 1.1** में दिखाया गया है।

चित्रलेख 1.1: झारखण्ड में आईएफएमएस मॉड्यूल

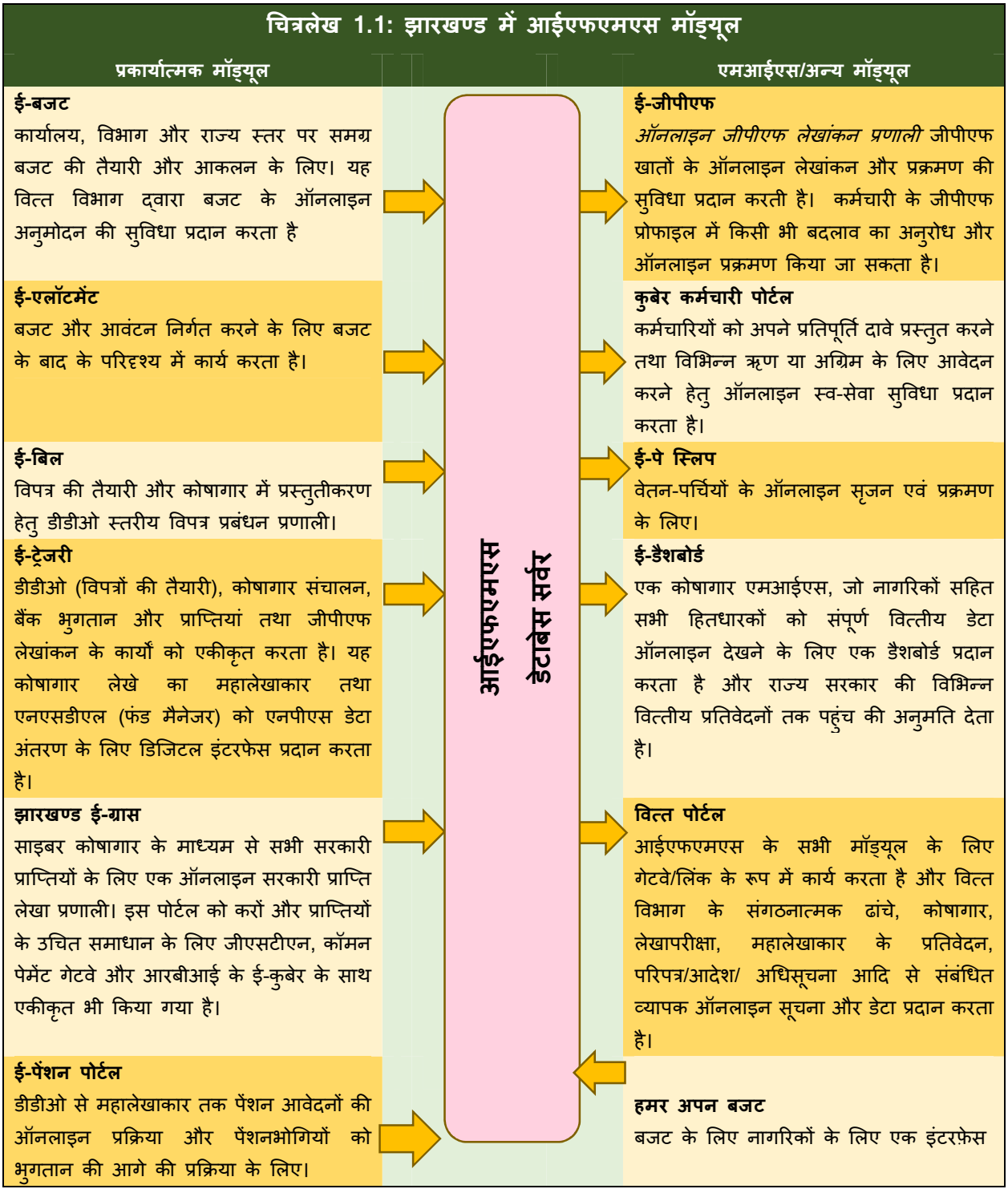

आईएफएमएस को तीव्र और सुचारू प्रक्रमण के लिए अन्य वित्तीय आईटी प्रणाली जैसे कि निर्माण लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (वामिस), राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की मौजूदा प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), भुगतान गेटवे, एसबीआई-सीएमपी और आरबीआई ई-कुबेर के मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर-भुगतान के लिए, रांची में प्रोजेक्ट बिल्डिंग कोषागार को साइबर कोषागार के रूप में नामित किया गया (नवंबर 2010) और भारतीय स्टेट बैंक, हटिया

शाखा, रांची को राज्यांतर्गत सभी बैंक शाखाओं से सभी ऑनलाइन कर-भुगतान के अभिलेखों को एकत्र करने और साइबर कोषागार में ऑनलाइन जमा करने के लिए नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया।

1.4 आईएफएमएस के उद्देश्य

समग्र राजकोषीय चक्र में योजना बनाने, बजट बनाने, बजट क्रियान्वयन (जिसमें राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन और ऋण प्रबंधन शामिल है), संव्यवहार लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं। राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में इन प्रमुख क्षेत्रों में से प्रत्येक के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

उद्देश्य	प्रमुख क्षेत्र
राजकोषीय प्रबंधन	समग्र राजकोषीय स्थिति और जोखिमों का अनुश्रवन और प्रबंधन किया जाता है
बजट यथार्थवाद	बजट यथार्थवादी है और इसे अपेक्षित तरीके से कार्यान्वित किया गया है
व्यापक, नीति-आधारित बजट	बजट में प्रासंगिक राजकोषीय लेन-देन को दर्ज किया जाता है, तथा इसे सरकारी नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है
सूचना	निर्णय लेने, नियंत्रण, प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजकोषीय, राजस्व और व्यय अभिलेख एवं सूचनाएं बनायी, संधारित और प्रसारित की जाती है।
नियंत्रण	सार्वजनिक निधियों के उपयोग में नियंत्रण और प्रबंधन की कवायद के लिए व्यवस्था मौजूद है
जवाबदेही और पारदर्शिता	सार्वजनिक वित्त की बाह्य पारदर्शिता और जांच की व्यवस्था

1.5 आईएफएमएस के मुख्य हितधारक

आईएफएमएस के हितधारकों को मोटे तौर पर आंतरिक और वाह्य हितधारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे संस्थाएँ जिनके कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, उन्हें आंतरिक हितधारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि अन्य को वाह्य हितधारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त प्राथमिक हितधारकों के अलावा, आईएफएमएस परियोजना के कई सुविधाप्रदाता भी हैं, जैसा कि **चार्ट 1.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: हितधारक - आईएफएमएस

आंतरिक हितधारक	वाह्य हितधारक
• वित्त विभाग, कोषागार • अन्य विभाग अर्थात बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) और डीडीओ • योजना एवं विकास विभाग • आंतरिक लेखापरीक्षा • कर्मचारी • पेंशनभोगी	• महालेखाकार • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) • एजेंसी बैंक, भारत सरकार • व्यवसायी • विक्रेता • वित्तीय संस्थाएँ, नागरिक
परियोजना सुविधाप्रदाता	
• सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार • झारखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी (जैप-आईटी), झारखण्ड सरकार • प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड सरकार • सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)	

आईएफएमएस से संबंधित प्राथमिक हितधारकों की संक्षिप्त भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

वित्त विभाग

वित्त विभाग राज्य के समग्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें अन्य राजकोषीय कार्यों के साथ-साथ, योजना, बजट, राजस्व प्रबंधन, कोषागार के माध्यम से बजट निष्पादन और लेखांकन के कार्य शामिल हैं। यह कोषागार के लिए प्रशासनिक विभाग भी है। कोषागार में कोषागार पदाधिकारी (टीओ) विभिन्न विभागों के आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए जाने वाले विपत्रों के प्रक्रमण के लिए जिम्मेदार है। टीओ, बैंकों के माध्यम से भुगतान को प्राधिकृत और कोषागार लेखाओं की तैयारी करता है। सरकार का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य भी वित्त विभाग की जिम्मेदारी है।

योजना एवं विकास विभाग

2017-18 से योजना और गैर-योजना घटकों के विलय के बाद, राज्य का बजट चार भागों में तैयार किया जा रहा है, अर्थात (i) राजस्व प्राप्तियां, (ii) स्थापना व्यय, (iii) केंद्रीय सहायता के तहत् योजनाएं (अ) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित) और (ब) केंद्र प्रायोजित योजनाएं, तथा (iv) राज्य की योजनाएं {(अ) चालू योजनाएं और (ब) नई योजनाएं}। आगे, 2017-18 से राज्य के योजना और विकास विभाग द्वारा समीक्षा के बाद विभागों के लिए राज्य, केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनंतिम परिव्यय तय किया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न घटकों अर्थात अन्य उप-योजना (ओएसपी), जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के तहत् योजनाओं के लिए निधि का प्रावधान योजना और विकास विभाग द्वारा तय किया जाता है।

राजस्व विभाग

राजस्व (नागरिकों और व्यवसायियों से) संग्रह करने वाले प्रमुख विभाग वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग आदि हैं। इसी तरह, कुछ विभाग हैं, जो कानून के उल्लंघन के खिलाफ जुर्माना वसूलते हैं जैसे यातायात पुलिस, परिवहन विभाग आदि। इस प्रकार के संग्रह, एजेंसी बैंकों में भी प्रेषित किए जाते हैं और कोषागार द्वारा उनका लेखांकन किया जाता है।

राज्य सरकार के विभाग

राज्य सरकार के विभाग बजट तैयार करने (बजट नियंत्रण अधिकारी-बीसीओ के माध्यम से) के साथ-साथ विपत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वित्त विभाग से परस्पर विचार का आदान-प्रदान करते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) विभिन्न प्रकार के विपत्र (वेतन, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आदि) तैयार करते हैं, जिन्हें जेएफआर/जेटीसी

में परिभाषित कार्यप्रवाह द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा भुगतान के लिए कोषागार को प्रस्तुत किया जाता है।

कर्मचारी एवं पेंशनभोगी

कर्मचारी और पेंशनभोगी, कोषागार के माध्यम से वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान प्राप्त करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार का बैंकर होता है। यह अंतर-सरकारी संव्यवहारों का लेखा-जोखा रखता है और उसका निपटान करता है। यह बाजार से उधार लेने की सुविधा देकर राज्य सरकार के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक, दोनों ऋणों का प्रबंधन भी करता है। यह राज्य सरकार के नकदी शेष के प्रबंधन के लिए अर्थोपाय अग्रिम भी प्रदान करता है।

एजेंसी बैंक

आरबीआई द्वारा नियुक्त एजेंसी बैंक, कोषागार द्वारा प्राधिकृत एवं निर्गत किए गए चेकों के आधार पर भुगतान करके तथा प्रेषित राशि को कोषागार की ओर से स्वीकार कर सरकारी व्यवसाय का संचालन करते हैं।

नागरिक/व्यवसायी/विक्रेता

नागरिक/व्यवसायी राज्य सरकार को, प्राधिकृत बैंकों/राज्य के सरकारी विभागों के माध्यम से कर का भुगतान करते हैं। बैंक दिन के अंत में राज्य सरकार के खाते में राशि प्रेषित करते हैं। नागरिक/व्यवसायी/विक्रेता भी सब्सिडी/रिफंड/सेवाओं के बदले भुगतान आदि के रूप में अपने संबंधित बैंक खातों में कोषागार के माध्यम से सरकार से राशि प्राप्त करते हैं।

महालेखाकार

महालेखाकार (एजी), लेखा एवं हकदारी (लेखा एवं हक), विभिन्न कोषागारों और अन्य निकायों से प्राप्त वाउचर और अनुसूचियों के आधार पर व्यय और प्राप्तियों के मासिक लेखाओं के संकलन और समेकन के लिए उत्तरदायी है। महालेखाकार राज्य के मासिक सिविल लेखे तैयार करते हैं और उन्हें राज्य सरकार को सौंपते हैं। महालेखाकार अन्य कार्यकलापों के अलावा, राज्य के विभागों द्वारा किए गए लेखांकन संव्यवहारों का समाधान, जमा लेखाओं का रखरखाव और अंतर-सरकारी संव्यवहारों का निपटान, सुनिश्चित करते है।

1.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

झारखण्ड में आईएफएमएस का सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया था, कि क्या:

- आईटी प्रणाली के उद्देश्यों को व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने हेतु, आईटी वातावरण में प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्भियंत्रण किया गया था; और
- आईटी परिसंपत्ति, डेटा अखंडता, प्रणाली की प्रभावशीलता व दक्षता सुरक्षित रखने तथा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आईएफएमएस में प्रणाली कार्यक्षमता और नियंत्रण पर्याप्त था।

1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की जांच और मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में किया गया:

- कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका;
- आईएफएमएस की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), ऐज-इज एवं टू-बी दस्तावेज़;
- प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज, प्रकार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश (एफआरएस), सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस), उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) प्रतिवेदन, परिवर्तन एवं कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेज;
- झारखण्ड बजट मैनुअल, झारखण्ड वित्तीय नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता, झारखण्ड लोक निर्माण/लेखा संहिता, वन अधिनियम एवं मैनुअल;
- आईटी अधिनियम 2000 एवं अनुवर्ती संशोधन; आईटी नियमावली; आईटी विकास, प्रशासन एवं रखरखाव के सामान्य सिद्धांत; झारखण्ड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा आईटी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस) नीति 2016; और
- इस संदर्भ में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुदेश/परिपत्र।

1.8 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

आईएफएमएस की आईटी लेखापरीक्षा, इसकी स्थापना (जून 2007) से नवंबर 2022 तक की अवधि के लिए मई 2022 और जुलाई 2023 के बीच संचालित किया गया था। नवंबर 2022 तक की अवधि के लिए आईएफएमएस का पूरा डेटा डंप वित्त विभाग से प्राप्त किया गया (जनवरी 2023)। आइडिया का उपयोग करके डेटा विश्लेषण करने के लिए, डेटा डंप को पुनर्स्थापित और डॉट-सीएसभी फ़ाइलों में निकाला गया।

झारखण्ड में कार्यान्वित आईएफएमएस के 12 मॉड्यूल में से छ:[6] प्रकार्यात्मक मॉड्यूलों को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में शामिल थे:

1. प्रणाली डिजाइन दस्तावेज़ की समीक्षा;
2. आईएफएमएस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं के विस्तृत पूर्वाभ्यास (यूजर वाक्-थ्रू) द्वारा सभी हितधारकों का दौरा कर प्रणाली में उनके कार्यों का अध्ययन;
3. कंप्यूटर सहायतित लेखापरीक्षा तकनीक (सीएएटी) साधन यथा- आइडिया (इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस) का उपयोग करके डेटाबेस का विश्लेषण;
4. डेटा विश्लेषण से उत्पन्न, 2017-18 से 2022-23 (नवंबर 2022 तक) की अवधि से संबंधित निष्कर्षों का, संबंधित हितधारकों का दौरा कर, भौतिक अभिलेखों के साथ सत्यापन।

वित्त विभाग (झा.स.) के विशेष सचिव के साथ 12 सितंबर 2022 को एक अन्तर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, दायरा और मानदंडों को बताया गया। वित्त विभाग (झा.स.) के विशेष सचिव के साथ 13 मार्च 2024 को बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हुई। विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय, बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान विभाग के विचारों को ध्यान में रखा गया है। विभाग के जवाबों को भी, प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

[6] (i) ई-बजट; (ii) ई-एलॉटमेंट; (iii) ई-बिल; (iv) ई-ट्रेजरी; (v) झारखण्ड ई-ग्रास; और (vi) ई-पेंशन